



2026:AHC:127653

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 19995 वर्ष 2026

नीरज रावत @ टाइगर

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) की ओर से अधिवक्ता

: सत्यम मोर्य, विशाल अग्रवाल

विपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विशाल अग्रवाल और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना।

2. वर्तमान जमानत याचिका धारा 8/20 और 29/60 एनडीपीएस अधिनियम, पुलिस स्टेशन-इगलास, जिला- अलीगढ़ के तहत मुकदमा अपराध संख्या 62 वर्ष 2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

3. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के कब्जे से कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं किया गया है और सह-आरोपी पुष्पेंद्र के इकबालिया बयान में आवेदक का नाम सामने

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आया है। एफआईआर के अनुसार, सह-आरोपी पुष्पेंद्र के घर के बाहर खड़े एक ट्रैक्टर से 490.745 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि इसी तरह के सह-अभियुक्त, अर्थात् सत्यपाल सिंह और अमन चौधरी @ छोटू को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 17569 वर्ष 2026 और 14603 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2026 और 07.05.2026 द्वारा जमानत दे दी गई है। आगे तर्क यह है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के वैधानिक प्रावधानों का सही अक्षर से अनुपालन नहीं किया गया है, और इसलिए, कथित बरामदगी की कानूनी पवित्रता को नुकसान पहुंचाया गया है। अधिवक्ता ने आवेदक के झूठे निहितार्थ को इंगित करने वाली परिस्थितियों को प्रदर्शित करने की भी कोशिश की है। अभियुक्त की ओर से रखी गई दलीलों के दौरान अभियोजन पक्ष के पीछे दुर्भावना का भी बखान किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक 01.04.2026 से जेल में है और जमानत आवेदन के पैराग्राफ संख्या 20 में आपराधिक इतिहास को अच्छी तरह से समझाया गया है।

4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, हालांकि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सकता है कि समान रूप से स्थित सह-आरोपी सत्यपाल सिंह और अमन चौधरी @ छोटू को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है।

5. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत देने के लिए एक मामला बनाया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. तदनुसार, जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

7. आवेदक- नीरज रावत @ टाइगर जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ धारा 229-ए आईपीसी/269 बीएनएस के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और धारा 82 सीआरपीसी / 84 बीएनएसएस के तहत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, फिर, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार, धारा 174-क आईपीसी/209 बी.एन.एस.

(iv) आवेदक (1) मामले की सुनवाई, (2) आरोप तय करने और (3) सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

जून 16, 2026

कीर्ति

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"